

विषय-सूची

विवरण	संदर्भित	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय I: परिचय		
स्वास्थ्य सेवाएं	1.1	1
राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विहंगावलोकन	1.2	3
संगठनात्मक ढांचा	1.3	3
राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति	1.4	4
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.5	8
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	9
डॉक्टरों/रोगियों का सर्वेक्षण	1.7	11
लेखापरीक्षा मानदंड	1.8	11
इस प्रतिवेदन में आयुष्मान भारत पर विचार	1.9	13
आभार	1.10	13
प्रतिवेदन की संरचना	1.11	13
अध्याय II: मानव संसाधन		
परिचय	2.1	15
स्वीकृत कर्मचारी संख्या के प्रति मानव संसाधन की उपलब्धता	2.2	16
महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की उपलब्धता	2.3	20
औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) के अंतर्गत मानव संसाधन	2.4	21
नमूना जांच किए गए अस्पतालों में स्वीकृत कर्मचारी संख्या और उपलब्धता	2.5	21
चयनित स्वायत्त सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में शिक्षक डॉक्टरों की कमी	2.6	24
चयनित मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत कर्मचारी संख्या और कार्यरत कर्मचारी	2.7	25
नर्सिंग कॉलेज, एलएनएच में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और उपलब्धता	2.8	27

एनएचएम के अंतर्गत रिक्त पद	2.9	27
रेडियोलॉजी स्टाफ की तैनाती	2.10	29
अध्याय III: स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं		
लाइन सेवाओं का वितरण	3.1	32
अंतः रोगी विभाग (आईपीडी)	3.2	44
आपातकालीन प्रबंधन	3.3	55
मातृत्व सेवाएं और शिशु देखभाल	3.4	65
रेडियोलॉजी सेवाएं	3.5	70
सहायक एवं सहायता सेवाओं का वितरण	3.6	74
अध्याय IV: औषधियों, दवाइयों, उपकरणों और अन्य उपभोज्य सामग्रियों की उपलब्धता		
परिचय	4.1	90
औषधियों, दवाइयों और उपभोज्य सामग्रियों की खरीद और उपलब्धता	4.2	90
इन्वेंटरी नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रणाली	4.3	109
औषधियों एवं दवाइयों की उपलब्धता	4.4	114
उपकरणों की खरीद और उपलब्धता	4.5	118
अध्याय V: स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना		
परिचय	5.1	134
अवसंरचना का नियोजन और मूल्यांकन	5.2	134
अध्याय VI: वित्तीय प्रबंधन		
परिचय	6.1	162
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मानदंडों की तुलना में राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय	6.2	162
राजस्व और पूंजीगत व्यय	6.3	163
स्वास्थ्य अवसंरचना पर व्यय	6.4	164
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का वित्तीय प्रावधान और प्रबंधन	6.5	165
कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग	6.6	167
कोविड-19 टीकाकरण के लिए धनराशि जारी करने में देरी	6.7	169
नमूना जांच किए गए अस्पतालों द्वारा निधियों का कम उपयोग	6.8	169

दवाइयों के लिए अलग बजट शीर्ष का अभाव	6.9	170
अध्याय VII: केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन		
परिचय	7.1	174
संगठनात्मक ढांचा	7.2	175
निधीयन का पैटर्न	7.3	175
सहायता का पैटर्न	7.4	176
प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए)	7.5	176
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)	7.6	204
एचएमआईएस के अंतर्गत डेटा संग्रहण और रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियां	7.7	205
कैंसर, मधुमेह, हृद्वाहिका रोगों और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	7.8	206
दृष्टिहीनता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	7.9	209
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम	7.10	211
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	7.11	215
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन न होना	7.12	216
बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का कार्यान्वयन	7.13	217
अध्याय VIII: नियामक तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता		
परिचय	8.1	220
नियामक निकायों द्वारा मानदंडों और विनियमों का कार्यान्वयन	8.2	220
अध्याय IX: सतत विकास लक्ष्य-3		
परिचय	9.1	239
एसडीजी-3 का कार्यान्वयन और निगरानी	9.2	239
परिशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)	9.3	241
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियां	9.4	249
नवजात शिशुओं को क्रिटिकल केयर प्रदान करने के लिए निजी अस्पताल/नर्सिंग होम को सूचीबद्ध न करना	9.5	249

अध्याय X: रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्यक्रमों, योजनाओं/परियोजनाओं/सेवाओं का कार्यान्वयन		
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को निःशुल्क इलाज	10.1	252
दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) के अंतर्गत रोगियों का इलाज	10.2	260
जन औषधि जेनेरिक फार्मसी स्थापित नहीं होना	10.3	270
स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित नहीं होना	10.4	270
हेल्थ कार्ड योजना का कार्यान्वयन नहीं होना	10.5	270
स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी	10.6	271
अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली/ई-अस्पताल स्थापित नहीं होना	10.7	271
दिल्ली हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन (डीएचसी)	10.8	271
टेली-मेडिसिन सुविधा	10.9	272
टेली-रेडियोलॉजी सेवाएं	10.10	272
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुगम बनाने में समन्वय एवं गंभीरता की कमी	10.11	273
अध्याय XI: आयुष		
परिचय	11.1	276
आयुष की संगठनात्मक संरचना	11.2	277
वित्त-पोषण की पर्याप्तता	11.3	277
आयुष स्वास्थ्य देखभाल संरचना की उपलब्धता और प्रबंधन	11.4	280
दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता	11.5	286
मानव संसाधन प्रबंधन	11.6	294
आयुष के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	11.7	297
राष्ट्रीय आयुष मिशन	11.8	309
नियामक तंत्र	11.9	311

अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भित	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं
I.	मार्च 2022 तक अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ का विवरण	2.2	319
II.	रेडियोलॉजिकल सेवाओं का विवरण (एक्स-रे)	2.10	322
III.	अस्पतालों में उपभोग की जाने वाली निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की सूची	4.2.6.2	323
IV.	अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता	4.4.1	325
V.	डीजीएचएस को भूमि आबंटन के बाद अस्पताल/औषधालय जैसी विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास न होना	5.2.7	329
VI.	नर्सिंग संस्थानों का विवरण	8.2.2	333
VII.	चिह्नित निजी अस्पताल द्वारा इंडब्ल्यूएस रोगियों को अनुचित निःशुल्क इलाज/निःशुल्क इलाज प्रदान न करना	10.1.7	335
VIII.	एसएचएमसी में आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता	11.5.4	346
IX.	तिब्बिया अस्पताल में थोक में खरीदी एवं खुली वितरित दवाओं की सूची	11.5.5	349

